



चान्-सिद्धान् विपुक्तवे

प्रो. रजनीश जैन
सचिव

Prof. Rajnish Jain
Secretary



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

बहादुरशाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Ph.: 011-23236288/23239337
Fax : 011-2323 8858
E-mail : secy.ugc@nic.in

अ०श०मि०स० 3-2/2021 (ए.आर.सी)

27 OCT 2021

अक्टूबर, 2021

SPEED POST

विषय: विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन रैगिंग रोधी शपथ-पत्र दाखिल करने की संशोधित प्रक्रिया।

प्रिय महोदया/महोदय,

जैसा कि आप जानते हैं, सिविल अपील संख्या 887/2009 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 8.5.2009 के निर्णय के अनुसरण में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग को रोकने के लिए विनियम, 2009" में अधिसूचित किया है जिसके दूसरे संशोधन के अनुपालन में, प्रत्येक विद्यार्थी और उनके माता-पिता/अभिभावक को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में www.antiragging.in और www.amanmovement.org में से किसी एक वेबसाइट पर ऑनलाइन वचन पत्र जमा करवाना अनिवार्य है।

इस प्रक्रिया को सहज करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन रैगिंग रोधी शपथ-पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया में संशोधन किया है।

संशोधित प्रक्रिया निम्नवत है:

चरण 1: विद्यार्थी अपना विवरण पूर्वतः (www.antiragging.in और www.amanmovement.org) वेबसाइट पर जमा करेंगे और पढ़कर इसकी पुष्टि करेंगे कि वे और उनके माता-पिता/अभिभावकों ने रैगिंग को रोकने के लिए विनियम को अच्छी तरह पढ़ और समझ लिया है, वे इस बात की भी पुष्टि करेंगे कि वे किसी भी रूप में रैगिंग में शामिल नहीं होंगे। (चरण 1 पहले जैसा ही है)।

चरण 2: विद्यार्थी को उसकी पंजीकरण संख्या और एक वेब लिंक के लिए एक ई-मेल प्राप्त होगा। विद्यार्थी अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में नोडल अधिकारी के ई-मेल पर लिंक अग्रेषित करेगा। (कृपया ध्यान दें कि विद्यार्थी को पीडीएफ शपथ-पत्र प्राप्त नहीं होगा और उसे इसे प्रिंट करने और हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि पहले हुआ करता था)।

चरण 3: विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के नोडल अधिकारी उन विद्यार्थियों की सूची प्राप्त करने के लिए जिन्होंने अपने महाविद्यालय में रैगिंग रोधी शपथ पत्र/वचन पत्र जमा किए हैं, अपने महाविद्यालय के किसी भी विद्यार्थी से प्राप्त किसी भी अग्रेषित ईमेल के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, सूची हर 24 घंटे में अद्यतन की जाएगी।

जारी.../-

CONTINUATION SHEET

-02-

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से अनुरोध है कि वे दिए गए प्रारूप के अनुसार अपने विश्वविद्यालयों /महाविद्यालयों के प्रवेश पत्र में एक अनिवार्य कॉलम डालें:

रैरिंग रोधी शपथ की संदर्भ संख्या:	
-----------------------------------	--

आपसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि अपने विश्वविद्यालय /महाविद्यालय के रैरिंग रोधी नोडल अधिकारी का ईमेल पता और संपर्क हेतु टेलीफोन नंबर अपनी वेबसाइट और परिसर क्षेत्रों जैसे प्रवेश केंद्र, विभागों, पुस्तकालय, कैटीन, छात्रावास, और सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित करें ताकि विद्यार्थियों में ऑनलाइन रैरिंग रोधी शपथ-पत्र दाखिल करने की संशोधित प्रक्रिया के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके।

आपसे यह भी निवेदन किया जाता है कि प्रवेश-पुस्तिका/विवरणिका आदि की प्रिन्ट/हार्ड कॉपी के बजाय उनकी सॉफ्ट कॉपी तथा साथ ही रैरिंग सम्बन्धी मार्गदर्शन हेतु ई-लिफ्लेट भी प्रकाशित की जाए।

सादर,

भवदीय,



(रजनीश जैन)

सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति

सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य